104 Po

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

EF 335316

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

'श्री बीजी गुजराती कुंवर बहादुर रमा मिश्रा जनसेवा ट्रस्ट'

(ट्रस्ट डीड - स्टाम्प 800/= रूपये)

मैं जगदीश प्रसाद मिश्र सुत श्री कुंवर बहादुर मिश्रा ग्राम जे०पी० नगर धरौली पोस्ट धरौली मुफरिद तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उ०प्र० व ज्ञान प्रकाश मिश्र सुत श्री कुंवर बहादुर मिश्र प्रबन्धक/सचिव ग्राम जे०पी० नगर धरौली पोस्ट धरौली मुफरिद तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ हाल मुकाम इलाहाबाद-फैजाबाद रोड, चेल्हा देवी पुल के पूरब, निरंकारी रोड सदर बाजार, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उक्त द्वय को क्रमशः इस ट्रस्ट में आगे प्रधान न्यासी आजीवन अध्यक्ष एवं आजीवन न्यासी एवं प्रबन्धक/सचिव कहा गया है। ट्रस्ट के उक्त आजीवन न्यासी द्वय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 335317

की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है, जिसके लिए मैं जगदीश प्रसाद मिश्र इस ट्रस्ट को स्थापित करता हूँ और आज दिनांक 23 जुलाई 2018 को इस ट्रस्ट का पंजीकरण मेरे (जगदीश प्रसाद मिश्र संस्थापक आजीवन ट्रस्टी एवं आजीवन अध्यक्ष, आथर आफ द ट्रस्ट) द्वारा कराया गया।

विदित हो कि मैंने रूपये 11000/= (ग्यारह हजार)मात्र इस ट्रस्ट के प्रथम फण्ड के रूप में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया है और इस ट्रस्ट के विलेख का निष्पादन निम्नलिखित रूप में करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

1. उक्त ट्रस्ट का नाम **'श्री बीजी गुजराती कुंवर बहादुर रमा मिश्रा जनसेवा ट्रस्ट,' जे०पी०नगर धरौली, पोस्ट धरौली मुफरिद, जनपद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश** है जिसका मूल उद्देश्य लाभार्जन न होकर(नॉट फॉर प्रॉफिट) जनसेवा एवं जनकल्याण है। जिसका प्रशासनिक कार्यालय जे०पी० नगर धरौली पोस्ट धरौली मुफरिद जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश है। उक्त संस्थापक आजीवन न्यासी एवं आजीवन अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद मिश्र को अधिकार होगा कि अन्यत्र जहाँ चाहें इस ट्रस्ट

न्यास पत्र

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 220 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 140 योग : 360

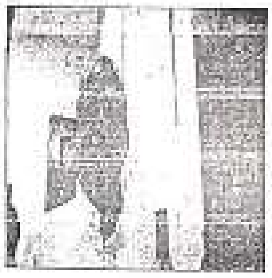
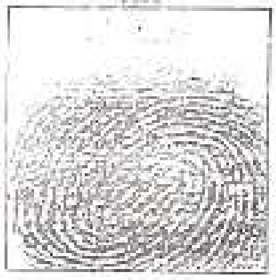

श्री जगदीश प्रसाद मिश्र ,
पुत्र श्री कुंवर बहादुर मिश्रा
व्यवसाय : सेवानिवृत
निवासी: जे० पी० नगर धरोली त० पट्टी प्रतापगढ़ हा०मु० इलाहाबाद फैजाबाद रोड सदर बाजार निरंकारी रोड प्रतापगढ़

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉंक 23/07/2018 एवं 12:33:07 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम०के०त्रिपाठी (प्रभारी)
उप निबंधक :सदर
प्रतापगढ़
23/07/2018

जय कुमार सिंह
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

क्र 3112 दि 19.7.18 1001/-
3111

RAM S...
Stamp Vendor
Collectorate-Pratapgarh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 335318

का उपकार्यालय स्थापित कर सकते हैं। इस ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र भारतीय संविधान के अन्तर्गत अनुमत सम्पूर्ण भारतवर्ष है। इस ट्रस्ट का परिनियम, संविधान एवं अन्य व्यवस्थाएं तथा उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित रूप में निष्पादित एवं घोषित किये जाते है:-

I **<u>ट्रस्ट का कार्य एवं उद्देश्य :-</u>**

1. उक्त ट्रस्ट फण्ड तथा आगे मिलने वाली किसी भी धनराशि की सुरक्षा, संरक्षा हेतु किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में उक्त प्रधान न्यासी एवं आजीवन अध्यक्ष एवं आजीवन सचिव/अध्यक्ष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर इसे जमा कर देंगे और इस खाते का संचालन दोनों पदाधिकारी संयुक्त रूप से पदेन करेंगे। दोनों लोग परस्पर सहमति से ट्रस्ट के अन्य खाते, खोल सकेंगे तथा प्राप्त धनराशि को एफडीआर, एनएससी अथवा अन्य किसी रूप में सुरक्षित रख सकेंगे और ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं कार्यों के लिए व्यय कर सकेंगे तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी शैक्षिक, सामाजिक एवं अशैक्षिक जनकल्याणकारी संस्था के समस्त खातों का परिचालन करने हेतु उक्त दोनों पदाधिकारी पदेन अधिकृत किये जाते हैं।

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री जगदीश प्रसाद मिश्र, पुत्र श्री कुंवर बहादुर मिश्रा

निवासी: जे० पी० नगर बराही [illegible] इलाहाबाद फैजाबाद रोड सदर बाजार [illegible] प्रतापगढ़

व्यवसाय: सेवानिवृत

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राधे श्याम त्रिपाठी , पुत्र श्री सुख राज त्रिपाठी

निवासी: पुलिस चौकी भंगवा चुंगी के पीछे सुखसुखवा पुर सदर प्रतापगढ़

व्यवसाय: सेवानिवृत

पहचानकर्ता : 2

श्री चन्द्र कान्त त्रिपाठी, पुत्र श्री लालजी त्रिपाठी

निवासी: न्यू कालोनी बाबागंज सदर प्रतापगढ़

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी

एम०के०त्रिपाठी (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर
प्रतापगढ़

जय कुमार सिंह
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

3113 19-7-18 100/-
3110-103111

RAM SUNDER SINGH
Stamp Vendor, L.No.-103
Collectorate-Pratapgarh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 782763

2. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उक्त पदाधिकारी द्वय समय-समय पर भूमि का क्रय-विक्रय करने अथवा नियमों के अन्तर्गत सरकारी-गैर सरकारी व्यक्तियों/संस्थाओं/विभागों से नियमानुसार ऋण लेने के लिए अधिकृत हैं। लिए हुए ऋण की अदायगी इस ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की आय से तथा ट्रस्ट फण्ड से की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध ये है कि लिया गया किसी भी प्रकार का ऋण या कर्जा ट्रस्ट के उद्देश्यों अथवा इसके द्वारा संस्थापित संस्थाओं के हित में ही व्यय किया गया हो।

3. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण बहुमत से ट्रस्ट फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त की पूर्ति में प्रयोग कर सकते हैं।

4. छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक एवं सह नर्सरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, माध्यमिक स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, डिग्री कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, प्रशिक्षण महाविद्यालय,

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 782764

आई०टी०आई० कालेज, टेक्निकल कालेज, प्राविधिक कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज, पॉलीटेक्निक कालेज, बी०फार्मा कालेज, डी०फार्मा कालेज, एम०फार्मा कालेज, बी०एड्, डी०एल०एड्०, बी०एल०एड्०, विधि महाविद्यालय, चिकित्सा कालेज, पैरा-मेडिकल कालेज, आयुर्वेद कालेज एवं विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करने हेतु यह ट्रस्ट अधिकृत एवं अधिकार संपन्न है। एन०सी०टी०ई०, एम०सी०आई०, पी०सी०आई०, टेक्निकल बोर्ड, सी०बी०एस०ई० बोर्ड, आई०एस०ई० बोर्ड, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक परिषद, एन०सी०टी०ई०, एस०सी०ई०आर०टी० आदि से सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं/कोर्सो की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना इस ट्रस्ट के मूल उद्देश्यों में है। बालक-बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा उनको स्वावलम्बी बनाने हेतु भारतीय संविधान के अन्तर्गत संचालित एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं से यथाविधि मान्यता एवं सहायता लेना और उनके निर्देशों के अन्तर्गत मान्यता/सम्बद्धता लेकर संचालन करना।

5. सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाचनालयों, जनोपयोगी प्रयोगशालाओं, केन्द्रों ,निराश्रित

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 782765

केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण प्रोत्साहन तथा एड्स नियंत्रण एवं उन्मूलन से सम्बन्धित केन्द्रों की स्थापना करना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, बोर्डो तथा प्रदेशीय शासन एवं केन्द्र सरकार से उनकी मान्यता एवं सम्बद्धता लेना और संस्थाओं का संचालन करना आदि से उन्हें मान्यता/सम्बद्धता आदि यथाविधि प्राप्त करना।

6. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों, व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक अनुसंधान आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना तथा इससे सम्बन्धित संस्थाएं यथाविधि स्थापित करना, कराना एवं संचालित करना।

7. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बना कर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन/अध्यापन/आवास आदि सुविधाओं का सृजन एवं उन्हें उपलब्ध कराना।

8. विभिन्न कक्षाओं के लिए नियमानुसार पाठ्यक्रम एवं मानक निर्धारित करना

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 782766

तथा यथाविधि परीक्षाएं लेना।

9. पुस्तकों, साहित्यिक पत्रिकाओं, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि यथाविधि करना।

10. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास करना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान करने की व्यवस्था करना तथा शोध कार्य में संलग्न प्रतिष्ठित संचालित संस्थाओं से अनुमति लेकर अनुसंधान कार्य कराना और उनसे मान्यता/सम्बद्धता लेना।

11. सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अधिवेशनों, सेमीनारों, गोष्ठियों, सम्मेलनों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में और सेवा आयोगों में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को यथा शक्ति प्रोत्साहित करना और सुविधाएं मुहैया कराना।

12. समाज कल्याण विभाग, नाबार्ड कपार्ट परिवार कल्याण विभाग, मानव संस्थान मंत्रालय से यथाविधि सहायता प्राप्त करना तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार नियोजित करना एवं व्यय करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 782767

13. सिलाई–कढ़ाई, बुनाई स्क्रीन प्रिंटिंग शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।

14. भारतीय संविधान के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय अखण्डता को अक्षुण्ण रखने का विभिन्न प्रकार से प्रयास करना।

15. आयुर्वेदिक औषधियों और कृषोपयोगी बीजों एवं उर्वरकों का यथाविधि उत्पादन करना एवं उसका प्रचार–प्रसार करना।

16. विधि सम्मत पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन कार्य को प्रोत्साहित तथा तत्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था करना।

17. उपभोक्ता अधिकार, ऊसर सुधार जेसे सामाजिक दायित्व के विषय पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य करना।

18. साम्प्रदायिक सौहार्द्र हेतु धार्मिक स्थलों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करना।

19. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन करना।

20. विभिन्न समाजोपयोगी आयोजनों एवं कार्यो हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, सहायता एवं वित्तीय सहायता तथा प्रोत्साहन देना।

21. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेजों/विधि

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 782768

महाविद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों से विशेषाधिकार प्राप्त कर उनकी यथाविधि स्थापना करना तथा अन्य को विशेषाधिकार प्रदान करना।

22. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना तथा ट्रस्ट एवं इससे संचालित संस्थाओं के विकास हेतु बैंकों से ऋण लेना और ट्रस्ट/इसके द्वारा संचालित संस्थाओं से प्राप्त होने वाली आय से लिये गये ब्याज सहित ऋण की अदायगी करना।

23. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ंजा, तालाबों का निर्माण मछली पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि का प्रचार करना।

24. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा, क्योंकि इस ट्रस्ट का उद्देश्य जनहित है न कि लाभार्जन।

25. नियमानुसार गरीबों, असहायों एवं जरूरतमंदों को नि:शुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को सुशिक्षित करना तथा संविधान की परिधि में भारत के किसी भी हिस्से (संघ शासित राज्यों में भी) में इस ट्रस्ट के

53AD 613179

उद्देश्यों में वर्णित समस्त कार्यो को साकार रूप प्रदान करना।

26. कृषकों को फूल व फल एवं औषधि खेती के विकास के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना तथा देश या प्रदेश में आने वाली किसी भी आपातिक स्थिति बाढ़, भूकम्प, या महामारी की दशा में ट्रस्ट अपने संसाधनों का उपयोग देशकाल परिस्थिति के सापेक्ष कर सकेगा और ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति से अपने द्वारा किये गये कार्यों की पुष्टि एवं अनुमोदन करा लेगा।

27. केन्द्र सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर संचालित होने वाले समस्त जनोपयोगी शैक्षिक/अशैक्षिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं/व्यवस्थाओं/पाठ्यक्रमों को संचालित करना, उसके विकास के लिए सरकार द्वारा मिलने वाले अनुदानों को प्राप्त करना तथा निर्देशानुसार उसका व्यय एवं नियोजन करना तथा क्रियान्वयन करना आदि।

II <u>ट्रस्ट एवं ट्रस्ट द्वारा संस्थापित संस्थाओं के परिचालन की व्यवस्था एवं परिनियम (बाईलॉज)</u>

(अ) इस ट्रस्ट द्वारा स्थापित या संचालित किसी भी संस्था के लिए एक

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रबन्धकारिणी समिति होगी जिसमें सभी संस्थाओं में इस ट्रस्ट के संस्थापक प्रधान आजीवन ट्रस्टी श्री जगदीश प्रसाद मिश्र आत्मज श्री कुंवर बहादुर मिश्र आजीवन अध्यक्ष तथा आजीवन ट्रस्टी श्री ज्ञान प्रकाश मिश्र आत्मज श्री कुंवर बहादुर मिश्र संस्थापक ट्रस्टी आजीवन सचिव/प्रबन्धक होंगे।

(ब) इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष, सहायक प्रबन्धक तथा कार्यकारिणी के अन्य तीन सदस्यों का निर्वाचन आजीवन ट्रस्टियों द्वारा इस ट्रस्ट के परिनियम 'स' में वर्णित पाँच वर्षीय अस्थायी साधारण सदस्यों में से किया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रबन्ध समिति में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की कुल संख्या सात होगी। यदि किसी भी संस्था को मान्यता/सम्बद्धता देने वाली समिति/परिषद/विश्वविद्यालय/काउंसिल या आयोग के परिनियमावली में प्रबन्ध समिति के निर्माण की व्यवस्था दी गई है तो उक्त सात की संख्या उस सीमा तक आजीवन संस्थापक अध्यक्ष द्वारा बढ़ाई जा सकती है अथवा उसके निर्देशों के तहत उसका अनुपालन अध्यक्ष द्वारा इस ट्रस्ट में वर्णित व्यवस्था के सापेक्ष कर लिया जायेगा। किन्तु इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन एवं परिवर्द्धन का पूर्ण अधिकार संस्थापक/आजीवन अध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 53AD 382189

श्री जगदीश प्रसाद मिश्र को होगा और इसकी औपचारिक सूचना श्री जगदीश प्रसाद मिश्र द्वारा ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति को उसके बाद होने वाली मीटिंग में दे दी जायेगी और प्रबन्धक/सचिव उस सूचना को संज्ञान में लेकर कार्यवाही में लिपिबद्ध कर लेंगे।

(स) श्री जगदीश प्रसाद मिश्र अध्यक्ष एवं श्री ज्ञान प्रकाश मिश्र सचिव/प्रबन्धक आजीवन ट्रस्टियों के अतिरिक्त कतिपय ऐसे पाँच वर्षीय नितान्त अस्थायी सामान्य सदस्यों को नामित कर सकेंगे जिसमें से अथवा **II** (र) में वर्णित सूची से इस ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्था की प्रबन्ध समिति में इस ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टियों द्वारा उपाध्यक्ष, सहायक प्रबन्धक और कार्यकारिणी के तीन सदस्यों का निर्वाचन होगा, किन्तु ऐसे निर्वाचित उपाध्यक्ष, सहायक प्रबन्धक एवं कार्यकारिणी के तीनों सदस्यों को संस्था हित में मात्र परामर्श देने का अधिकार होगा जिसमें मताधिकार सम्मिलित नहीं है। ऐसे बनाये गये पाँच वर्षीय नितान्त अस्थायी साधारण सदस्यों की सदस्यता पाँच वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो जायेगी और उन्हें किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं होगा और ऐसे पाँच वर्षीय नितान्त अस्थायी साधारण सदस्यों को भी मताधिकार

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये ₹.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 53AE 382190

नहीं होगा। किन्तु वे संस्था हित में परामर्श, सुझाव एवं सलाह दे सकते हैं। जिनका संज्ञान लेने का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्धक/सचिव को है। संस्थापक आजीवन अध्यक्ष एवं आजीवन प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से उक्त साधारण सदस्यों का नवीनीकरण पाँच वर्ष बीतने पर उनके द्वारा किया जा सकता है अथवा उनके द्वारा नवीन पाँच वर्षीय नितान्त अस्थायी साधारण सदस्य बनाये जा सकते हैं और उनमें से अगली निर्वाचित होने वाली प्रबन्ध समिति का निर्वाचन आजीवन ट्रस्टियों द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा। इस परिनियम में नितान्त अस्थायी पाँच वर्षीय साधारण सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में **(20) बीस** से अधिक नहीं होगी। ऐसे बनाये गये पाँच वर्षीय नितान्त अस्थायी साधारण सदस्यों को ट्रस्ट के किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था के हित में परामर्श/सुझाव/सलाह देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी भूमिका में दखल देने का अधिकार नहीं होगा।

(द) यदि मान्यता/ सम्बद्धता देने वाले संगठन/निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय/परिषद द्वारा प्रबन्ध समिति के निर्माण की कोई व्यवस्था दी गयी हो तो मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार आजीवन संस्थापक प्रधान ट्रस्टी श्री जगदीश प्रसाद मिश्र को तत्सीमा तक संस्था के व्यापक हित में इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा। किन्तु इस

भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
53AD 382131

संशोधन के फलस्वरूप अथवा अन्य पद्धति से आने वाले किसी सदस्य या पदाधिकारी को परामर्श देने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य अधिकार नहीं होगा। संस्थापक प्रधान ट्रस्टी जो भी निर्णय लेंगे उसकी औपचारिक पुष्टि प्रबन्ध समिति से करा लेंगे।

(य) इस ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति निम्नलिखित होगी जिसमें ट्रस्ट के आजीवन सदस्य ही होंगे। इसमें होने वाली रिक्ति की पूर्ति आजीवन ट्रस्टियों में से होगी। यह स्थाई प्रबन्ध समिति होगी।

(र) इस ट्रस्ट में आजीवन ट्रस्टीज की सूची निम्नलिखित है जिन्हें ट्रस्ट का आजीवन सदस्य नामित कर दिया गया है और सभी सदस्यों ने इस ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों, उद्देश्यों एवं कार्यो को अंगीकार एवं स्वीकार कर लिया है। आजीवन ट्रस्टीज की सूची निम्नलिखित है जिसमें कुल 11 (ग्यारह) आजीवन ट्रस्टीज हैं जिन्हें आगे संस्थापक आजीवन ट्रस्टी भी कहा जायेगा।

आजीवन ट्रस्टीज की सूची

क्र०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
01	श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा	श्री कुंवर बहादुर मिश्रा	जे०पी०नगर, पो० धरौली मुफरिद, जिला-प्रतापगढ़	सेनि०प्रधानाचार्य एवं जनसेवा

भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये
TEN RUPEES
रु.10
Rs.10
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

02	श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा	श्री कुंवर बहादुर मिश्रा	जे०पी०नगर, पो० धरौली मुफरिद, जिला-प्रतापगढ	जनसेवा एवं व्यापार
03	श्री अशोक कुमार मिश्रा	श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा	जे०पी०नगर, पो० धरौली मुफरिद, जिला-प्रतापगढ़	व्यापार
04	श्रीमती गायत्री मिश्रा	पत्नी श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा	जे०पी०नगर, पो० धरौली मुफरिद, जिला-प्रतापगढ़	गृहणी
05	श्रीमती अर्पना मिश्रा	पत्नी श्री अशोक कुमार मिश्रा	जे०पी०नगर, पो० धरौली मुफरिद, जिला-प्रतापगढ़	सर्विस
06	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा	जे०पी०नगर, पो० धरौली मुफरिद, जिला-प्रतापगढ़	सर्विस
07	श्रीमती संगीता मिश्रा	पत्नी श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	जे०पी०नगर, पो० धरौली मुफरिद, जिला-प्रतापगढ़	गृहणी
08	श्री आलोक कुमार मिश्रा	श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा	जे०पी०नगर, पो० धरौली मुफरिद, जिला-प्रतापगढ़	जनसेवा

53AD 425254

09	श्रीमती प्रिया मिश्रा	श्री आलोक कुमार मिश्रा	जे०पी०नगर, पो० धरौली मुफरिद, जिला-प्रतापगढ	अध्ययनरत
10	श्री अमित मिश्रा	श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा	जे०पी०नगर, पो० धरौली मुफरिद, जिला-प्रतापगढ़	जनसेवा
11	श्री मृदुल मिश्रा	श्री अशोक कुमार मिश्रा	जे०पी०नगर, पो० धरौली मुफरिद, जिला-प्रतापगढ़	अध्ययनरत

नोट : भविष्य में आजीवन ट्रस्टियों की भर्ती का अधिकार संस्थापक आजीवन अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद मिश्र एवं आजीवन संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धक/सचिव श्री ज्ञान प्रकाश मिश्र के पास संयुक्त रूप से है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आजीवन ट्रस्टीज में नामांकन उक्त आजीवन ट्रस्टियों के रक्त संबंधियों का ही होगा जिसकी प्रक्रिया का पूर्ण अधिकार आजीवन अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद मिश्र एवं आजीवन प्रबन्धक/सचिव के पास इनके जीवनकाल तक सुरक्षित रहेगा। इसके बाद ये अधिकार इनके बाद आने वाले अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबन्धक के पास स्वयं ही अंतरित हो जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 53AD 425255

(ल) ट्रस्ट या ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति अथवा ट्रस्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित किसी भी संस्था की प्रबन्ध समिति से त्यागपत्र देने पर सम्बन्धित समिति द्वारा उसे स्वीकार कर लिये जाने के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी अथवा ऐसे सदस्य की मृत्यु पर भी उसकी सदस्यता स्वत: समाप्त हो जायेगी। भारतीय संविधान के अन्तर्गत निर्मित किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी सदस्य या पदाधिकारी के सिद्धदोष होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(व)(I) इस ट्रस्ट की स्थायी प्रबन्ध समिति निम्नलिखित है जिसमें कुल पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या 11 (ग्यारह) होगी, जिसमें होने वाली किसी भी रिक्ति की पूर्ति ट्रस्ट के आजीवन सदस्यों में से ही ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति द्वारा ही किया जायेगा।

ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	पद
01	श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा	श्री कुंवर बहादुर मिश्रा	अध्यक्ष
02	श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा	श्री कुंवर बहादुर मिश्रा	प्रबन्धक/सचिव

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AD 658997

03	श्री अशोक कुमार मिश्रा	श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा	उपाध्यक्ष
04	श्रीमती गायत्री मिश्रा	श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा	उपप्रबन्धक/उपसचिव
05	श्रीमती अर्पना मिश्रा	श्री अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
06	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा	सदस्य
07	श्रीमती संगीता मिश्रा	पत्नी श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	सदस्य
08	श्री आलोक कुमार मिश्रा	श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा	सदस्य
09	श्रीमती प्रिया मिश्रा	पत्नी श्री आलोक कुमार मिश्रा	सदस्य
10	श्री अमित मिश्रा	श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा	सदस्य
11	श्री मृदुल मिश्रा	श्री अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य

(II) ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति द्वारा, ट्रस्ट द्वारा स्थापित किसी भी संस्था के विषय में लिये गये किसी भी संकल्प या निर्णय को उस संस्था की प्रबन्ध समिति को निष्प्रभावी करने, परिवर्तित करने, बदलने या परिवर्द्धित करने अथवा खण्डित करने का प्राधिकार नहीं होगा। ट्रस्ट की साधारण सभा जिसका वर्णन परिनियम (II) 'र' में है को ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति अथवा इसके द्वारा स्थापित किसी भी संस्था की प्रबन्ध

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

53AD 658998

समिति द्वारा लिये गये निर्णय को निष्प्रभावी करने, बदलने, परिवर्तित करने, परिवर्द्धित करने या प्रतिसंहत(खण्डित) करने का पूर्ण अधिकार है क्योंकि ट्रस्ट की साधारण सभा (आजीवन ट्रस्टियों की सूची) ही सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न निकाय है जिसके किसी भी निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(III) <u>ट्रस्ट के पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं अधिकार:-</u>

1. **अध्यक्ष-** ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठक बुलाने के लिए अनुमति देना तथा ट्रस्ट डीड में दिये गये अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उपयोग करना तथा ट्रस्ट के उपबन्धों के परिपालन एवं व्यवस्था पर निष्ठायुक्त नियंत्रण करना एवं कराना तथा अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का प्रयोग संस्था के हित में सदैव करना। ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं में नियुक्त होने वाले अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों की चयन समितियों की अध्यक्षता करना, चयन समिति में भाग लेना, चयनितों को यथाविधि नियुक्ति पत्र देना और यथा आवश्यक कानूनी कार्यवाहियों में तथा चल-अचल सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय में प्रबन्धक/सचिव के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना, खातों का संचालन करना तथा संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखना। अध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
53AD 658999

आत्यायिक परिस्थिति में ट्रस्ट एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के व्यापक हित में कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत है और वह ट्रस्ट एवं संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करेगा और ऐसी स्थिति में लिये गये निर्णयों की संसूचना प्रबन्ध समिति को यथासमय दे दिया करेगा। कहीं भी मतदान की स्थिति में समान मतों के अवसर पर अध्यक्ष को एक अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। यदि इस ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्था की प्रबन्ध समिति या उसके पदाधिकारी संस्था के हित में कार्य नहीं कर रहे हों या विधि विरूद्ध कार्य कर रहे हों और इसका समाधान अध्यक्ष को हो जाये कि प्रबन्ध समिति का क्रियाकलाप विधि सम्मत नहीं है तो अध्यक्ष को प्रबन्ध समिति को कार्य करने से रोकने का पूर्ण अधिकार होगा और यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो प्रबन्ध समिति को अगली प्रबन्ध समिति के निर्वाचन तक भंग कर सकता है। किन्तु ऐसी कार्यवाही की सूचना उस संस्था से सम्बन्धित सम्बद्धता निकाय के सर्वोच्च अधिकारी को देना होगा और छः (06) माह के अन्दर अध्यक्ष प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही अपनी देखरेख में करा देंगे और इसका अनुमोदन उक्त सर्वोच्च अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।

भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
53AD 659000

इस अवधि में संस्था के सुसंचालन की कार्यवाही अध्यक्ष जी करेंगे और इसके लिए उन्हें पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष के इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

2. उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना, किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्य वहीं वैध होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा कर दिया जायेगा।

3. प्रबन्धक/सचिव- ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्तावों व निर्णयों को लागू करना। अध्यक्ष की अनुमति से बैठकें बुलाना तथा अध्यक्ष के निर्देशानुसार ट्रस्ट एवं संस्थाओं के हित में कार्य करना। ट्रस्ट के दैनिक कार्य कलाप को सुचारू रूप से संचालित करना तथा सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही को पूर्ण रूप से कार्यवाही रजिस्टर में लिपिबद्ध करना और अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के एजेण्डे में गत कार्यवाही की पुष्टि नामक एजेण्डे को सदैव शामिल करना। इसके साथ-साथ अध्यक्ष के साथ ट्रस्ट एवं उसके द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं से सम्बन्धित चल- अचल सम्पत्तियों के

भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
INDIA NON JUDICIAL
53AD 425247

क्रय-विक्रय, चलने वाले परिवादों आदि में संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना और अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में सदैव अध्यक्ष के प्रति विश्वास पात्र बना रहना और पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अन्यत्र दिये गये अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का पालन करना।

4. **उपप्रबन्धक/उपसचिव**- सचिव की अनुपस्थिति में सचिव द्वारा सौंपे गये कार्यो को करना। किन्तु ऐसा कोई भी कार्य या निर्णय जिसका अनुमोदन अध्यक्ष या प्रबन्ध समिति नहीं करती है तो उसकी वैधता समाप्त हो जायेगी।

5. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति की बैठक प्रतिवर्ष दो बार अवश्य होगी जिसकी सूचना डाक या दस्ती या मोबाइल पर सभी सदस्यों को दी जायेगी और अर्जेन्ट बैठक चौबीस घंटे की सूचना पर हो सकती है और सामान्य बैठक पाँच दिन की सूचना पर। अध्यक्ष की अनुमति से सर्कुलेशन मीटिंग भी हो सकती है। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे न्यायालय प्रकरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन-देन निर्माण मान्यता सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिए आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

53AD 425248

अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा।

6. अन्य प्राविधान

1. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारम्परिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकेंगे।

2. ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु अध्यक्ष को अन्य स्थान पर जहां उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

3. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर व्यक्तिगत वित्तीय संस्थाओं फर्म बैंक आदि के उधार/ऋण लेने के पूर्ण अधिकार होगा अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए उधार/ऋण बैंक गारण्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय का अधिकार भी होगा अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर सम्पत्तियों को किराया/लीज पर देने का अधिकार होगा व ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.

INDIA NON JUDICIAL

53AD 425249

सम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तो पर जो ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति निश्चित करेगी और ऐसा निर्णय ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने का पूर्ण अधिकार होगा। ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न होने पर अध्यक्ष एवं सचिव को ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त करने व धारण करने चाहे वह पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने योग्य हो या किसी अन्य तरीके से प्राप्त करने योग्य, विक्रय करने, किराये पर देने, स्थानान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा। परन्तु ट्रस्टीगणं को ट्रस्ट के नाम एवं इसके उद्देश्यों को परिवर्तित करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा।

5. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या के 1/3 अथवा तीन ट्रस्टियों में जो दोनों में से जो कम हो बैठक का कोरम होगा। यदि कोरम

भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये
रु.10
Rs.10
INDIA NON JUDICIAL
53AD 425250

के अभाव में मीटिंग स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक उसी तिथि को, अध्यक्ष द्वारा घोषित समय व स्थान पर मीटिंग के स्थगन के एक घण्टे पश्चात होगी जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु स्थगित बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष या तत्समय घोषित किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा नहीं की जायेगी, अर्थात यह अधिकार श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा संस्थापक आजीवन अध्यक्ष को उनके जीवनकाल में उनके पास सुरक्षित रहेगा जिसके पश्चात यह अधिकार उनके द्वारा घोषित उनके अगले अध्यक्ष को स्वत: अंतरित हो जायेगा।

6. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गई राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होंगे।

7. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता सावधि जमा खाता बचत खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में रख सकते हैं। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव पदेन करेंगे।

53AD 613178

8. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चो का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय-व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट यथाविधि पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा जिसका शुल्क ट्रस्ट फण्ड से अदा किया जायेगा।

9. यह कि न्यासी/ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सकेंगे किन्तु ऐसे उत्तराधिकार या वसीयत में रक्त सम्बन्धी ही ट्रस्ट की सदस्यता हेतु मान्य होंगे।

11. यह कि यह ट्रस्ट डीड ट्रस्ट के संस्थापक आजीवन अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद मिश्र द्वारा आज दिनांक 23 जुलाई 2018 को पंजीकृत कराई गई।

12. यह कि एतद् द्वारा संस्थापित किया गया यह ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

53AD 425259

साक्षी - 01

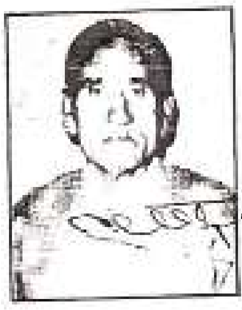

(श्री राधेश्याम त्रिपाठी)

आत्मज-श्री सुखराज त्रिपाठी

पुलिस चौकी, भंगवा चुंगी के पीछे,

खुसखुसवापुर, प्रतापगढ़

आधार कार्ड नं० 8723 7320 7764

मोब० 7607182731

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

53AD 425258

<u>साक्षी - 02</u>

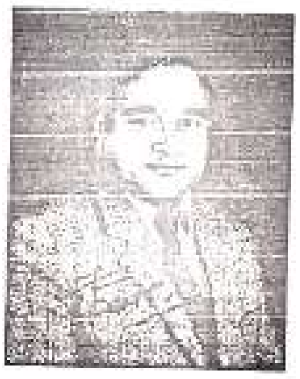

(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)

आत्मज-श्री डॉ० लालजी त्रिपाठी

93, न्यू कालोनी, बाबागंज, प्रतापगढ़

आधार कार्ड नं० 573699805670

मोब० 9452070611

उत्तर प्रदेश UTTAR P 53AD 425257

की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों/देनदारियों को यथाविधि निस्तारित कर ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के 3/4 के बहुमत से ट्रस्ट को भंग (Close Down) कर सकते हैं। ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्ट का भाग नहीं है।

(जगदीश प्रसाद मिश्र)
आत्मज-कुंवर बहादुर मिश्र
आथर ऑफ द ट्रस्ट
आधार कार्ड नं० 540712602033
मोब० 9794085117

ट्रस्ट-प्रारूप लेखकः-
(श्री शिव निवास मिश्र)
एडवोकेटः शेड नं० 2, कलेक्ट्रेट
कम्पाउंड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
आधार नं० 214900605274
मोब० 9450252763

दिनांक: 23/07/20

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 88 के पृष्ठ 341 से 398 तक क्रमांक 104 पर दिनाँक 23/07/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस०के०त्रिपाठी (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर
प्रतापगढ़
23/07/2018

3139 19-7-18

RAM SUNDER SINGH
Stamp Vendor, L.No.-103
Collectorate-Pratapgarh